न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 23/2018

1. रामदयाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामधन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम काटरवाड़ा तहसील बसवा जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा (राज0)

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी, दौसा दिनांकः 29.11.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मैसर्स श्री रामदयाल शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बड़ियाल खुर्द तहसील बसवा मुकदमा नं0 160/2017

उपस्थितः 1.श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 29.11.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि प्रवर्तन निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 24.6.2017 को अपीलार्थी की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। जिसकी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.07.2017 द्वारा निलम्बित किया जाकर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.09.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया। जिसके बाद प्रार्थी का प्राधिकार पत्र सं0 131/2007 को निरस्त कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण व विनिमय आदेश 1976 के प्रावधान के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से अब तक नहीं है। प्रार्थी की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विधि के प्रावधान अनुसार नहीं किया गया केवल अनुमान के आधार पर तौल का अनुमान कर कमी बताई गई है। मापतोल यंत्रों से माप नहीं कर गंभीर तथ्य एवं विधि के प्रावधानों की अवहेलना की है। प्रार्थी के विरूद्ध छोटे मोटे तकनीकी आधार आक्षेप बनाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 25.03.1994 को परिपत्र जारी किया गया है जिसमें समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलरों को तंग व

परेशान नहीं किया जावे। जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना किसी उचित आधार के कठोर दण्ड देते हुए प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। माह सितम्बर 2016 में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा वितरण रजिस्टर प्रमाणित किये गये थे जिसमें कुल 2100 लीटर केरोसीन आया था उसमें से 1350 लीटर पोश मशीन के द्वारा वितरण किया गया था। बाकी जिनमें फिंगर प्रिन्ट व आधार से लिंक नहीं होने के कारण वितरण रजिस्टर से किया गया था। केरोसीन वितरण के जो उपभोक्ता पोश मशीन से रह गये थे, उनके रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तन निरीक्षकों से प्रमाणित कराये गये थे। प्रार्थी का रजिस्टर भी प्रमाणित किया और सही पाया गया था। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी या अन्य अपराध नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माह सितम्बर 2016 का कैरोसीन वितरण रजिस्टर का अवलोकन करने का निवेदन करते हुए अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा ग्राम पंचायत बडियाल खुर्द तहसील बसवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामदयाल शर्मा की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 24.06.2017 को किया जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 13.07.2017 जिला रसद अधिकारी महोदय को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्न अनियमितता पाई गईः–

1. उक्त उचित मूल्य दुकान के बाहर वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया।
2. दुकान के बाहर एनएफएसए ई–सूची चस्पा नहीं पाई गई।
3. दुकान के बाहर उच्चाधिकारियों के मोबाईल नम्बर व नोटिस बोर्ड पर स्टॉक व मूल्य सूची का अंकन नहीं होना पाया गया।
4. श्री हनुमान की (रिक्त) दुकान भी अटैच है जो माह सितम्बर 2016 से पूर्व से ही है उक्त दोनों दुकानों की आमद व वितरण दोनों की गणना संयुक्त रूप से की जाकर भौतिक सत्यापन किये जाने पर 4.56 क्वि0 गेहूँ तथा 756 लीटर केरोसीन कम पाया गया।

इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलांट एवं श्री हनुमान की (रिक्त) दुकान माह सितम्बर 2016 से पूर्व ही अटैच होना तथा दोनों दुकानों की आमद व वितरण की गणना संयुक्त रूप से की जाकर भौतिक सत्यापन किये जाने पर 4.56 क्वि. गेहूँ तथा 756 लीटर केरोसीन कम पाया जाना व्यक्त किया गया है। जबकि अपीलांट डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब में केवल कट्टों की गिनती किया जाना एवं किसी कट्टें में 52 किलो से भी ऊपर गेहूँ बैठना व्यक्त करते हुए गेहूँ पूरे होना तथा माह सितम्बर 2016 से जून 2017 तक पॉश मशीन के अलावा वितरण नहीं करना बताया गया है। तथा माह सितम्बर 2016 में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा वितरण रजिस्टर प्रमाणित किये जाना व कुल 2100 लीटर केरोसीन आना तथा उसमें से 1350 लीटर पॉश मशीन के द्वारा वितरण किया जाना एवं बाकी जिनके फिंगर प्रिन्ट आधार से लिंक नहीं होने के कारण वितरण रजिस्टर से किया जाना व्यक्त किया है। पत्रावली में उपलब्ध प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 13.7.2017 एवं फर्द

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौका रिपोर्ट के अनुसार भौतिक सत्यापन में 4.56 क्वि0 गेहूं कम पाया जाने एवं इसका संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से डीलर द्वारा अनियमितता किया जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official